बिहार सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

संवेदक सिराजुर रहमान (निबंधन सं0– 150073/1230336, श्रेणी–प्रथम) पता– C/o- Md. Abdir Rashid Churipatti Road, P.O.+P.S.+Dist- Kishanganj को अगले 03 वर्ष के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने संबंधी विभागीय सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक 5890 दिनांक 06.06.2025 के विरूद्ध समर्पित अपील अभ्यावेदन दिनांक 07.07.2025 के सापेक्ष सुनवाई के संबंध में।

सुनवाई की तिथि–25.07.2025

आदेश

संवेदक सिराजुर रहमान (निबधन सं0–150073/1230336, श्रेणी–प्रथम) पता– C/o- Md. Abdir Rashid Churipatti Road, P.O.+P.S.+Dist- Kishanganj, उनके द्वारा प्राधिकृत अधिवक्ता, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अररिया एवं नोडल पदाधिकारी ब्लैकलिस्टिंग, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना उपस्थित।

प्रस्तुत मामला ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अररिया के अधीन PMGSY योजना अन्तर्गत T05-Nepal Border Jhala Chowk To Jakirparas, Last Border Construction of HL Bridge at Ch 33-20 Km- Over Aligment (Package No.- BR01P2R-49) के निर्माणाधीन पुल का कार्य मानक विशिष्टियों के अनुरूप नहीं कराये जाने के कारण संवेदक सिराजुर रहमान (निबंधन सं0–150073/1230336 को विभागीय सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक 5890 दिनांक 06.06.2025 द्वारा अगले 03 (तीन) वर्ष के लिए कालीकृत (Blacklist) किए जाने के विरूद्ध संवेदक के द्वारा दायर अपील की सुनवाई संबंधित है।

सिराजुर रहमान के अधिवक्ता ने कहा कि बकरा नदी के काफी घुमावदार प्रकृति के कारण उक्त स्थल पर वर्ष 2015 से लगातार कुर्साकाटा की ओर नदी की जलधारा Shift होती चली गई है तथा यदि नदी की धारा एवं जलीय आकड़ों एवं प्राकृतिक प्रवाह के साथ छेड़–छाड़ नहीं किया जाता तो पुल में कोई क्षति नहीं होती। उन्होंने पुनः कहा कि विभिन्न जांचदलों द्वारा निर्धारित नमुना संग्रहण की प्रक्रिया का अनुपालन नहीं करते हुए कंक्रीट की गुणवत्ता पर प्रतिकूल टिप्पणी की गई है तथा सही निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पर्याप्त संख्या में नमूनों की जाँच नहीं की गई है। उन्होंने निष्कर्ष में यह कहा कि पुल के गिरने का मूल कारण उसकी गुणवत्ता नहीं अपितु गलत डी0पी0आर0, निरूपण, स्थल के अनुरूप योजना का स्वीकृत नहीं होना था।

कार्यपालक अभियंता अररिया ने विभाग के पक्ष को प्रस्तुत किया जिसके महत्वपूर्ण तथ्य निम्नवत है:–

(i) IIT, Patna के विशेषज्ञ दल द्वारा संबंधित Partially Collapsed Bridge के Pier, Pier Cap, Deck Slab एवं Cross Girder से पर्याप्त संख्या मे Core Samples को Collect किया गया। साथ ही पुल के धाराशायी भाग से varying diameters के पर्याप्त सं0 में Rebar Samples एवं Concrete Chunks को collect किया गया। सभी Samples को cushion के साथ Securely package किया गया ताकि

Transportation के दौरान Samples को कोई नुकसान नहीं हो। IIT, Patna में Standard codal Provisions के अनुसार हर जाँच के लिए Sample Preparation का कार्य किया गया तथा Testing का कार्य RWD प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया गया।

(ii) Core Samples के Preparation और Testing में Standardised Processes एवं वांछित equipment यथा Diamond Core, Drill Bit, Diamand Cutter, Universal Testing Machine का उपयोग किया गया।

(iii) जाँच में Concrete Core Test से प्राप्त Average Equivalent cube Strength acceptable limit से काफी कम पाया गया। पुनः Pier, Pier cap, Cross girder एवं Deck slab में प्रयुक्त concrete वांछित design strength को satisfy नहीं करता है तथा Poor Quality of Concrete Work का प्रमाण है। साथ ही Deck slab में cold joints का Presence भी खराब गुणवत्ता के concrete work का प्रमाण है।

(iv) संग्रहित Reinforcing Bars Samples के Tensile test में 18 में से 8 नमूनों का Yield Strength Prescribed value से नीचे पाया गया तथा 4 Rebar Samples का tensile strength भी न्यूनतम मान्य strength value से कम पाया गया।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह स्पष्ट है कि Partially Collapsed Bridge में जाँच एजेंसी के द्वारा संग्रहित नमूने Inclusive एवं Representative थे। पुनः Samples Collection, Processing, Preparation एवं Testing में मानक एवं स्थापित प्रक्रियाओं का पालन किया गया है तथा Test के findings laboratory test के द्वारा Validated हैं।

उपरोक्त से यह प्रमाणित होता है कि संवेदक श्री सिराजुर रहमान के द्वारा संबंधित पुल के निर्माण में गुणवत्ता संबंधी Parameters की अनदेखी की गयी है।

अतः उक्त अंपील अभ्यावेदन को विचार योग्य नहीं पाते हुए एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–03–04/2025 8509 /पटना, दिनांक– 5.8.25

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यंक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मो0 सुल्तान अहमद)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–03–04/2025 8509 /पटना, दिनांक– 5-8-25

प्रतिलिपि– सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–03–04/2025 8509 /पटना, दिनांक– 5-8-25

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना, अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं अभियंता प्रमुख के निजी सहायक, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

निबंधित

ज्ञापांक:–14/अ0प्र0–03–04/2025 8509 /पटना, दिनांक 5-8-25

प्रतिलिपि:– संवेदक संवेदक Sirajur Rahman, At –C/o- Md Abdur Rashid, Churipatti Road, Po+P.S+Dist-Kishanganj, Bihar, Pincode: 855108 को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–03–04/2025 8509 /पटना, दिनांक– 5-8-25

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख